राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

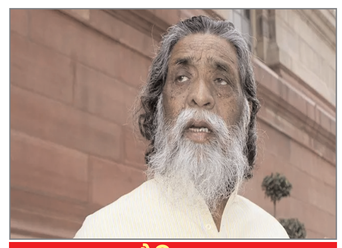

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 20 दिसंबर 2025
वर्ष 14, अंक 247, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का- मुक्की, भाजपा कार्यालय घेराव की कोशिश विफल..03

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की अगुवाई में जिलाधिकारी से की अवैध कब्जा की शिकायत..04

जिस एसआईआर के बचाव में खड़ी है भाजपा, उसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं सीएम आदित्यनाथ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बारह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनः एसआईआर) कराने की घोषणा के बाद से ही अंदेशे जताये रहे थे कि उसके तहत सबसे ज्यादा 'खेल' उत्तर प्रदेश में होंगे. सिर्फ इसलिए नहीं कि वह देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या और लोकसभा सीटों वाला राज्य है और इस कारण सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी भविष्य के लिहाज से वहां उसका बहुत कुछ दांव पर है. इसलिए भी कि केंद्र के साथ यूपी की भी सत्ता में होने के कारण आयोग की मिलीभगत से संभव ऐसे 'खेलों' की सारी सहूलियतें उसी के नाम लिखी हुई हैं. लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस संबंधी गत रविवार की टिप्पणी ने इन अंदेशों और उनसे जुड़े कयासों को जो नई दिशा दे दी है, उसकी बाबत शायद ही किसी ने पहले सोचा हो. आगे बढ़ने से पहले योगी की इस टिप्पणी पर एक नजर डाल लेते हैं. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष 'चुने' जाने के बाद रविवार को आयोजित एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने अचानक प्रदेश में एसआईआर की शिथिलताओं कहें या गड़बड़ियों पर बोलना शुरू कर दिया तो, विपक्षी पार्टियां तो विपक्षी पार्टियां, उनकी भारतीय जनता पार्टी की कतारें भी चौंक उठीं. इसलिए और कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इसी दिन देश की राजधानी दिल्ली में वोट चोरी के विरुद्ध रैली करके नरेंद्र मोदी सरकार, चुनाव आयोग और एसआईआर की लानत-मलामत कर रही थी।

बहरहाल, योगी जो कुछ कहा, कुल मिलाकर उसका लब्बोलुआब यह है कि प्रदेश की मतदाता सूची में 18 वर्ष से ज्यादा के हर प्रदेशवासी का नाम हो तो उसकी 25 करोड़ की जनसंख्या के लिहाज से मतदाताओं की कुल संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर के तहत अब तक 12 करोड़ नाम ही आये हैं यानी जितने आने चाहिए, उससे चार करोड़ कम. इस तरह लगभग एक चौथाई मतदाता 'मिसिंग' हैं. कार्यकर्ताओं को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनवरी, 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे और एक जनवरी, 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर इसमें शामिल होने के योग्य होने वाले युवा मतदाताओं के जुड़ने के बाद यह संख्या और बढ़नी चाहिए थी. लेकिन वह बढ़ने के बजाय घटकर 12 करोड़ रह गई है. इसके बाद योगी ने इससे भी ज्यादा गौर करने की बात कही. यह कि जो चार करोड़ मतदाता, मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं, वे सभी भाजपा के विरोधी नहीं हैं और उनमें 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के ही हैं. जाहिर है कि वे कहना चाह रहे थे कि अगर ये मतदाता सूची से बाहर ही रह गए तो चुनाव में भाजपा को बहुत नुकसान हो सकता है. यहां एक और बात गौरतलब है. यह कि इससे पहले प्रदेश की सबसे बड़े विपक्षी दल- समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा व चुनाव आयोग को घेरा तो कहा था कि दोनों मिलकर तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटना चाहते हैं. तीन करोड़ यानी योगी द्वारा 'मिसिंग' बताए जा रहे मतदाताओं से एक करोड़ कम. अब योगी ने उनसे आगे बढ़कर चार करोड़ मतदाताओं के मिसिंग होने की बात कह डाली है तो अनेक प्रेक्षकों को वे उनको यानी विपक्ष को भी मात देते लगने लगे हैं.

लेकिन योगी यहीं नहीं रुके. उन्होंने यह दावा भी किया कि हाल में प्रदेश के एक जिले के दौरे में उन्होंने पाया कि भाजपा के विरोधियों द्वारा भरे गए एसआईआर फॉर्मों में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भी हैं. उनके अनुसार एक जगह तो एक ऐसे सज्जन का नाम भी दिखा, जिनकी खुद की उम्र 20 साल, उनके पिता की उम्र 30 साल और दादा की उम्र 40 साल लिखी थी. इसके बाद तो जैसे बस यही पूछना रह गया कि भला यह कैसा एसआईआर है और किस तरह कराया जा रहा है. लेकिन अंत में योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि सौभाग्य से चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के तहत मतदाताओं के फॉर्म जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है तो उनको (कार्यकर्ताओं को) चाहिए कि वे उसका बेहतर उपयोग करके हर बूथ तक और घर-घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं. इतना सब कहकर योगी एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर मुंह खोलने वाले देश के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए तो कई हलकों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई. कुछ लोगों ने इसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा एसआईआर को लेकर की जा रही गड़बड़ियों की शिकायतों की पुष्टि के रूप में देखा, तो कई हलकों में यह सवाल भी पूछा जाने लगा कि क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 'खेल' करने के अरमानों के विपरीत उलटे भाजपा को ही बड़े नुकसान का अंदेशा सताने लगा है?

अखिलेश यादव ने तो ऐसा मानते हुए एक ट्वीट भी कर डाला, जिसमें लिखा कि पीडीए के प्रहरियों की सतर्कता के कारण भाजपा

साक्ष्यों के अभाव में अपने उन फर्जी मतदाताओं के फॉर्म नहीं भरवा पाई, जिनकी बिना पर वह चुनावों में खेल किया करती थी. उनके अनुसार अब योगी इन्हीं मतदाताओं को मिसिंग बता रहे हैं, जिनके अनुसार इनका नब्बे प्रतिशत हिस्सा भाजपाई है और वे इसलिए चिंतित हैं कि यह हिस्सा खत्म हो गया तो भाजपा प्रदेश में चुनाव की दौड़ से एकदम से बाहर हो जाएगी. हालांकि ऐसा कहने वाले भी कम नहीं हैं कि योगी की टिप्पणी के पीछे भाजपा की अंदरूनी राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह से उनके रिश्तों में बढ़ती खटास भी हो सकती है. साथ ही विपक्ष को भ्रम में डाले रखने की कोशिश भी. वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर व्यास ने तो अपने दैनिक 'नया इंडिया' के 'राजरंग' स्तंभ में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय को यह कहते हुए उद्धृत कर डाला है कि यह कैसी विडंबना है कि एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है और उसकी प्रगति समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं. दूसरी ओर कई प्रेक्षक यह भी कह रहे हैं कि योगी का यह सब कहना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में एसआईआर पर हुई बहस के उत्तर में उसकी निरापदता की बाबत लिए गए ' बेहद तगड़े' स्टैंड को भोथरा करने की जानबूझकर की गई कोशिश है. आखिरकार चुनाव आयोग द्वारा खुद तय की गई समय सीमा (जिसे अब उसने आगे बढ़ा दिया है) में प्रदेश के चार करोड़ यानी लगभग एक चौथाई मतदाताओं के फॉर्म नहीं भरे जा सके तो यह कोई छोटी बात तो नहीं ही है. दूसरी ओर अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित दैनिक में पिछले दिनों छपी खबर कहती है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने से भाजपा ने ही सबसे ज्यादा राहत की सांस ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एसआईआर की निष्पक्षता पर यह भी एक प्रश्नचिह्न है. अगर वह निष्पक्ष होता तो योगी को उसे लेकर इस तरह की टिप्पणी कर एक साथ कई संकेत देने और एक तीर से कई शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

साधुओं को सुभीता

जो भी हो, चुनाव आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाने से भाजपा के हिस्से कम से कम इतनी सहूलियत तो आ ही गई है कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व वृंदावन जैसे प्रदेश के धार्मिक जमावड़ों वाले शहरों में साधुओं व संन्यासियों के (जो उसी का वोट बैंक माने जाते हैं) फॉर्म भराने का काम अब वह सुभीते से पूरा करा सकेगी. शुरू में इस काम में एक समस्या यह आड़े आ रही थी कि साधु-संन्यासियों के फॉर्म में उनकी माता का नाम क्या लिखा जाए? दरअसल, साधु-संन्यासी अपने साधुत्व या संन्यास ग्रहण करने के दिन अपना 'नया' जीवन शुरू या पुनर्जन्म हुआ मानते हैं और उसके बाद पिता की जगह अपने गुरु का ही नाम इस्तेमाल करते हैं, जैविक पिता का नहीं. वे दावा करते हैं कि वे अपना इससे पहले का समूचा जीवन, जैविक माता-पिता समेत, पीछे छोड़ या कि पूरी तरह भूल आए हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुरु की ओर से 'पंच संस्कार' के बाद शिष्य का गोत्र बदलकर भगवान के गोत्र में सम्मिलित हो जाता है और उसका 'आध्यात्मिक पुनर्जन्म' हो जाता है. फिर गुरु ही उसके पिता होते हैं. इस एसआईआर से पहले तक साधु-संन्यासियों को इसके चलते मतदाता बनने में कोई असुविधा नहीं होती थी, क्योंकि पिता की जगह गुरु का नाम लिखने से काम चल जाता था, लेकिन अब एसआईआर के फॉर्म में उन्हें अपनी माता का नाम भी लिखना है और न लिखने पर मतदाता सूची से नाम कट जाने का अंदेशा है. राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या के नेताडॉ. रामविलास दास वेदांती ने (जो भाजपा के लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे और पिछले दिनों अचानक देहांत के बाद अब इस संसार में नहीं हैं) अपनी ओर से इस समस्या का यह समाधान निकाला था कि साधु-संन्यासी फॉर्म में अपनी माता के नाम की जगह जानकी लिख दें, जो माता सीता का नाम है. खबर के मुताबिक उन्होंने अपने स्वयं के फॉर्म में भी यही लिखा था. अयोध्या के स्थानीय भाजपा नेता भी साधुओं व संन्यासियों को यही समझा रहे थे. उन्हें अपनी माता के रूप में भगवान राम की माता कौशल्या का नाम लिख देने का विकल्प भी सुझाया जा रहा था. लेकिन समस्या इतनी ही नहीं थी, बहुत से यायावर साधु न अपने दर्ज पतों पर उपलब्ध थे, न ही आनलाइन फॉर्म भरने में रुचि रखते थे. इस कारण उनके फॉर्म भरना संभव नहीं हो रहा था. यह भी बताते हैं कि वाराणसी व मथुरा के अनेक साधुओं ने फॉर्म भरे तो उनमें माता के नाम वाला कॉलम खाली छोड़ दिया है. अगर इसके चलते उनके फॉर्म रद्द किए गए तो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद आपत्तियां दाखिल की जाएंगी।

मदरसे में पढ़ने आई नाबालिग छात्रा से मौलाना ने किया रेप, फिर दी जान से मारने की धमकी

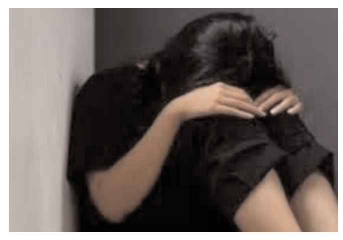

बहराइच– उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले स्थित एक मदरसे में 14 वर्षीय एक छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पढ़ने आई छात्रा को मौलाना ने हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद दरिंदे ने बच्ची को जान से मरने की धमकी भी दे दी। मामला सामने आने के बाद मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने बुधवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के मदरसा दारूलून गुलशने सैयाद मेहबू अशरफ में पढ़ने जाती थी। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसी मदरसे के मौलाना सलमान ने 12 दिसंबर को उसके बेटी को झाड़ू लगाने के लिए अपने कमरे में बुलाया और बच्ची से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया।

रेप के बाद दी धमकी

शिकायतकर्ता के मुताबिक, दर्ज मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त मदरसे में अन्य कोई विद्यार्थी नहीं था। महिला ने आरोप लगाया कि मौलाना ने बच्ची को धमकी भी दी कि घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे जान से मार देगा। सिंह ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

संक्षिप्त ख़बरें

बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंदू युवक की बेहरमी से की हत्या, फिर शव को पेड़ से बांधकर दिया जला

बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में गुरुवार रात ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश में शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। घटना के अनुसार, मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। वह एक युवा गारमेंट फैक्ट्री मजदूर था और स्थानीय पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। रात करीब 9 बजे एक बड़ी भीड़ ने उस पर हमला किया और बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि हत्या के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई। कट्टरपंथियों ने युवक के शव को पेड़ से बांध दिया और फिर जला दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करके शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया।

अभी तक इस नृशंस हत्याकांड में किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा है कि वे पीड़ित के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यह घटना ऐसे समय हुई है जब भारत विरोधी नेता और कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हादी को 12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी थी। उन्हें एयर एंबुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था, जहां गुरुवार को उनका निधन हो गया। इस घटना ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और आम नागरिकों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और हिंसा फैलने से रोकने के प्रयास जारी हैं।

आधी रात में मनरेगा खत्म करने वाले बिल को संसद की मंजूरी, अब वीबी जी राम जी कानून जल्द

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संसद ने गुरुवार को विपक्ष के तीव्र विरोध और हंगामे के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) बिल पारित कर दिया. यह बिल 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 125 दिनों की रोजगार की गारंटी देगा. राज्यसभा ने बिल को ध्वनि मत से पास किया. गुरुवार को ही दिन में लोकसभा ने भी इसे मंजूरी दी थी. विपक्ष ने बिल के पारित होने के दौरान जोरदार हंगामा किया।

विपक्ष का कहना है कि मौजूदा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार उनकी स्मृति का अपमान कर रही है और राज्यों पर वित्तीय बोझ डाल रही है.राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. कई सदस्यों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं, जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की ओर न जाने की चेतावनी दी. हंगामे के बाद विपक्षी

सदस्यों ने वॉकआउट किया और संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

पूरी रात धरने पर बैठे टीएमसी सांसद

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संविधान सदन की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना देने का फैसला किया. विपक्ष ने बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की भी मांग की थी. राज्यसभा में पांच घंटे की चर्चा के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल का जोरदार बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह बिल ग्रामीण भारत के विकास और रोजगार अवसरों के लिए जरूरी है. चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने महात्मा गांधी के आदर्शों की कई बार हत्या की और उनके नाम का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया. मंत्री ने कहा कि यूपीए शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी और सामग्री खरीद पर अपेक्षित धन खर्च नहीं हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित भारत बनाने का है, जिसमें गांवों का विकास अहम है. उन्होंने विपक्ष के हंगामे को लोकतंत्र का अपमान करार दिया और कहा कि सदन दादागिरी से नहीं चलेगा. चौहान ने दावा किया कि भाजपा ने गांधीजी को अपना आदर्श बनाया है और उनकी सामाजिक-आर्थिक विचारधारा को अपनाया है।

लोकसभा में 8 घंटे चली चर्चा

लोकसभा में भी आठ घंटे की चर्चा के दौरान विपक्ष ने कागज फाड़े और नारे लगाए. चौहान ने कहा कि मनरेगा अब पुरानी हो चुकी है और अब स्थायी संपत्तियां बनाने, जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम संबंधी कार्यो पर 10-11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत है. अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार इसे नोटिफाई करेगी और यह कानून बन जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार फरवरी में बजट सत्र से पहले इसे कानूनी शक्ल देना चाहती थी ताकि नए बजट में इस मद में धन राशि आवंटित की जा सके।

दूसरे धर्म के लड़के से की शादी तो बाप ने संपत्ति से किया बेदखल, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनाया ये फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है. उसने टेस्टेटर (वसीयत करने वाले) की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था. यह मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वसीयत को दरकिनार करते हुए एनएस श्रीधरन की संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था।

श्रीधरन के नौ बच्चे थे, लेकिन 1988 में बनाई गई उनकी रजिस्टर्ड वसीयत में शैला को छोड़कर बाकी आठ बच्चों को संपत्ति सौंप दी गई थी. वजह थी शैला का समुदाय से बाहर शादी करना. जजमेंट लिखते हुए

जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं. शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से यह संपत्ति अन्य भाई-बहनों को सौंप दी गई है. कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लाइंट को कम से कम 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है. लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं. हम इक्विटी (न्यायसंगत बंटवारे) पर नहीं हैं. टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है. उसकी अंतिम वसीयत से विचलन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

वसीयत लिखने वाली की इच्छा सर्वोपरिकोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के कंटेंट पर सावधानी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपनी संपत्ति कैसे बांटे. अगर वसीयत से सभी वारिसों को वंचित किया जाता, तभी कोर्ट सावधानी बरत सकता था. लेकिन यहां केवल एक बेटी को बाहर किया गया है और इसके लिए स्पष्ट वजह बताई गई है. बेंच ने टिप्पणी की कि वंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए सावधानी का नियम नहीं तय करती. हम टेस्टेटर की जगह खुद को नहीं रख सकते. हम अपनी राय थोप नहीं सकते; उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है. फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टिशन सूट को खारिज कर दिया गया. मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में भाई-बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी. शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ माना।

लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी की याचिका खारिज, लालू परिवार की केस ट्रांसफर मांग नामंजूर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में राबड़ी देवी ने अपने, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई को वर्तमान न्यायाधीश से हटाकर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी. राबड़ी देवी की ओर से दलील दी गई थी कि इन मामलों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को जज विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर किया जाना चाहिए. हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई ठोस और पर्याप्त आधार सामने नहीं रखा गया

है. ऐसे में ट्रांसफर की मांग न्यायसंगत नहीं पाई गई. कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई अब जज विशाल गोगने की अदालत में ही जारी रहेगी. गौरतलब है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ कई मामलों में जांच और सुनवाई चल रही है, जिन्हें लेकर पहले भी कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए जाते रहे हैं. अदालत के ताजा आदेश को राजद खेमे के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करने वाला फैसला बताया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार संबंधित अदालत में ही होगी।

मध्य प्रदेशः सतना में संक्रमित खून चढ़ाए जाने से बच्चों में एचआईवी की पुष्टि, ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 निलंबित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– इस सप्ताह किसी शुरुआत में मध्य प्रदेश के सतना ज़िला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है. अब इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी और दो लैब टेकनीशियन को निलंबित कर दिया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार (18 दिसंबर) को सतना जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल सरकारी अस्पताल में छह बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के संबंध में एक ब्लड बैंक प्रभारी और दो लैब तकनीशियनों को निलंबित कर दिया है. अधिकारी ने आगे बताया कि सतना में संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले की जांच के लिए गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. उल्लेखनीय है कि राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 16 दिसंबर को इस समिति का गठन किया गया था. अधिकारी के अनुसार, समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल और प्रयोगशाला तकनीशियन राम भाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. इस के साथ सिविल सर्जन को चेतावनी दी गई है कि यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि 16 दिसंबर को मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि सतना जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद यह लाइलाज बीमारी हो गई. इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी प्रभावित हुए हैं. ये सभी मामले जनवरी से मई के बीच हैं और सभी का इलाज एचआईवी प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है. सतना जिला अस्पताल

में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आए हुए थे. लेकिन, सिस्टम की अनदेखी के चलते यहां बच्चों को चढ़ाया जाने वाला ब्लड बिना जांच के ही ट्रांसफ्यूज कर दिया. बाद में जांच करने पर चढ़ाए गए ब्लड के एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी सामने आई. करीब 9 महीने पहले ही बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे. लेकिन जिला अस्पताल ने और जिला प्रशासन ने इसकी भनक नहीं लगने दी. हालांकि बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इसका खुलासा हो गया. गुरुवार को एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया ने पुलिस की मदद से ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा, जो अस्पताल के बाहर 4500 रुपये लेकर खून उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे और काफी समय से जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय थे. ये लोग जिला अस्पताल के सामने चाय की दुकान में बैठकर जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को अपने जाल में फंसाकर अवैध रूप से रक्त उपलब्ध कराने का धंधा कर रहे थे. कार्रवाई के दौरान इन लोगों से नकद रकम बरामद की गई है. फिलहाल तीनों दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. इससे पहले झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के सरकारी सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आया था. तब चाईबासा के सिविल सर्जन, एचआईवी यूनिट के प्रभारी चिकित्सक और संबंधित टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी. साथ ही सभी बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की भी बात कही थी।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का फैसला क्यों?

केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार (15 दिसंबर) को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जो परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारत के सख्त कानून को खत्म करने के साथ ही निजी कंपनियों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है जो अब तक विशेष सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित था.इस विधेयक के एक बार पारित होने के बाद निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र या रिएक्टर के निर्माण, स्वामित्व, संचालन या बंद करने, परमाणु ईंधन के निर्माण (जिसमें यूरेनियम-235 का रूपांतरण, शोधन और संवर्धन शामिल है) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्धारित पदार्थ के उत्पादन, उपयोग, प्रसंस्करण या निपटान के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे.परमाणु उर्जा का क्षेत्र देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इस लिए इस पर बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने की जरूरत है। अभी यह भी समीक्षा का विषय है कि सरकार यह फैसला बिना किसी दबाव के जरूरत में ले रही है या इसके पीछे कोई मजबूरी छिपी है।

आपको बता दें कि लोकसभा में सिविल न्यूक्लियर कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके जरिए सरकार अब परमाणु ऊर्जा पर सरकार का एकाधिकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। अगर मौजूदा कानून को बदलने के लिए लाया गया विधेयक स्वीकार होता है तो आने वाले दिनों में भारत में निजी कंपनियां और यहां तक कि आम आदमी भी परमाणु संयंत्र के निर्माण और इसके संचालन जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय विज्ञान-तकनीक मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इससे जुडा विधेयक पेश किया। बुधवार को इस पर चर्चा शुरू हुई। बताया गया है कि इस विधेयक को कानून बनवाकर सरकार 2047 तक कुल 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर इस विधेयक में क्या प्रस्ताव हैं, जिन्हें लेकर देशभर में चर्चाएं जारी हैं? इससे परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के नियम किस तरह बदल जाएंगे? अगर निजी और आम लोगों को परमाणु उपकरण के इस्तेमाल की इजाजत होगी तो इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? इसके अलावा सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण क्यों है? सिविल न्यूक्लियर कानून में बदलाव के लिए जो विधेयक लाया गया है, उसे सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (एसएचएएनटीआई यानि शांति), 2025 नाम दिया गया है। इसके जरिए सरकार परमाणु ऊर्जा कानून (एटॉमिक एनर्जी एक्ट), 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को वापस ले लेगी। मौजूदा समय में भारत में परमाणु पदार्थों, ऊर्जा और उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर यही दोनों कानून दिशा-निर्देश तय करते हैं। शांति, 2025 विधेयक में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, इस्तेमाल और नियमन के लिए एक नया वैध ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा रेडिएशन के मानकों को लेकर भी इस विधेयक में कई नियम शामिल किए गए हैं। विधेयक में कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा भारत की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी अहम है। खासकर जैसे-जैसे ऊर्जा की मांग वाली तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डाटा सेंटर्स और उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है। विधेयक में कहा गया है कि सभी परमाणु और इससे होने वाले उत्सर्जन से जुड़ी गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से सुरक्षा मंजूरियां लेनी होंगी। इस विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की शक्तियां बदल दी गई हैं। अब एईआरबी सुरक्षा, रेडिएशन, परमाणु कचरे के प्रबंधन, जांच और आपात स्थिति को लेकर ज्यादा शक्तिशाली होगा। सरकार के पास रेडियोएक्टिव पदार्थों या रेडिएशन से जुड़े उपकरणों के नियंत्रण का भी अधिकार होगा, ताकि किसी सुरक्षा खतरे की स्थिति में सरकार खुद व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके। परमाणु ऊर्जा अगर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक है तो इसका गलत प्रबंधन हादसों को भी बुलावा दे सकता है। ऐसे में सरकार ने विधेयक में परमाणु हादसों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। इसके तहत किसी भी दुर्घटना की स्थिति में परमाणु ऊर्जा से जुड़े केंद्र के संचालक को सबसे पहले घटना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसमें कहा गया है कि परमाणु केंद्र का संचालक हर तरह के नुकसान और तबाही के लिए जिम्मेदार होगा, सिवाय किसी खतरनाक प्राकृक्तिक आपदा से हुई तबाही के। यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी है, जिसमें तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करने के बावजूद नुकसान को नहीं रोका जा सकता, उस स्थिति में संचालक की जिम्मेदारी सीमित या नहीं होगी। इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष, गृह युद्ध, आतंकवाद की घटना या विद्रोह की स्थिति में भी परमाणु इंस्टॉलेशन के संचालक की जिम्मेदारी सीमित या तय होगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर नुकसान का मुआवजा संचालक की तय जिम्मेदारी से ज्यादा है तो अतिरिक्त मुआवजे के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार ने साफ किया किया है है कि परमाणु ऊर्जा के लिए इससे जुड़े पदार्थ और उपकरणों का इस्तेमाल करने वाली निजी कंपनियों लोगों को बीमा और वित्तीय सुरक्षा का प्रबंधन करना जरूरी होगा, ताकि किसी संभावित नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई की जा सके। विधेयक में कहा गया है कि किसी हादसे की स्थिति में परमाणु नुकसान के दावों से जुड़े आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि मुआवजे को लेकर फैसला करेगा। मौजूदा समय में भारत का परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) किसी परमाणु संचालक और सप्लायर को परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 के तहत 1500 करोड़ का कवरेज मुहैया कराता है। इस विधेयक की एक खास बात यह है कि इसमें कंपनियों को लाइसेंस पाने के लिए अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी गतिविधियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों को लाइसेंस के लिए इन दोनों ही मानकों को दिखाना होगा। भारत के परमाणु ऊर्जा से सशक बनने के बाद से ही इस पर सरकार का एकाधिकार रहा है। सरकार के नियंत्रण में भारत का परमाणु ऊर्जा बेस काफी संतुलित रहा है। देश में 23 परमाणु रिएक्टर हैं, जिन्हें सरकार ही प्रबंधित करती है और इनकी पूरी जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के पास है। इन सभी के जरिए भारत हर वर्ष करीब 8.8 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि, सरकार ने 2032 तक 22 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावॉट पहुंचाने की मंशा जताई गई है। ऐसे में सरकार निजी कंपनियों के लिए भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार है, ताकि इन लक्ष्यों को जल्द हासिल किया जा सके। विधेयक में सरकार ने निजी कंपनियों के लिए न सिर्फ रास्ते खोले हैं, बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी नियमों को आसान बनाया है। खासकर किसी हादसे की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी का नियम हटाकर। रिपोर्ट्स की मानें तो पूरे विधेयक में कहीं भी परमाणु पदार्थों या इससे जुड़े उपकरणों को भेजने वाली कंपनियों को हादसे के लिए उत्तरदायी ठहराने का जिक्र नहीं है। ऐसे में उनके पदार्थों या उपकरण की गड़?बड़ी से हुए हादसे के लिए सप्लायर जिम्मेदार नहीं होंगे। बीते कई वर्षों से परमाणु पदार्थ और उपकरण भेजने वाली विदेशी कंपनियां भारत से इसी तरह की छूट की मांग भी कर रही थीं। गौरतलब है कि इससे पहले परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में सप्लायर्स को उत्तरदायी बनाने का भी जिक्र था। इसे तब भाजपा के दबाव में कांग्रेस ने ही कानून में शामिल किया था। इसके तहत कुछ मामलों में भारत की सिविल कोर्ट में सप्लायर्स के खिलाफ भी वाद दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, तब फ्रांस की अरेवा कंपनी और अमेरिका की वेस्टिंग हाउस ने इसका विरोध किया था और भारत के साथ परमाणु संयंत्र बनाने का ज्ञापन समझौता होने के बावजूद दोनों ही

कंपनियां इससे पीछे हट गई थीं।विपक्षी सदस्यों ने प्रस्तावन चरण के दौरान ही आपत्तियां उठाई.कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'अत्यधिक खतरनाक परमाणु गतिविधियों में लाभ कमाने वाली निजी भागीदारी की अनुमति देना, साथ ही दायित्व को सीमित करना, वैधानिक छूट प्रदान करना और न्यायिक उपायों को प्रतिबंधित करना, जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति राज्य के अप्रतिनिधित्व योग्य सार्वजनिक विश्वास दायित्वों को कमजोर करता है.'प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले विधेयक कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में सदन में लाए गए थे. यह विधेयक उसी नियामक संरचना को बनाए रखता है। एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो सुरक्षा प्राधिकरण प्रदान करेगा। लेकिन विवादों के निवारण के लिए एक परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद को भी शामिल करता है बहरहाल यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है इस के परिणाम कोई अमंगलकारी हालात भी पैदा कर सकते हैं इस लिए विशेष सतर्कता और परिणामों पर बिना राजनीतिक दुराग्रह पूर्वाग्रह के विचार करना चाहिए।

मनोज कुमार अग्रवाल

पाकिस्तान में हिंदुओं की असुरक्षा, सिंध पाकिस्तान में अपहरण, धर्मांतरण और खामोश कानून

कराची से सिंध के सुदूर इलाकों तक एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घर के सामने से एक हिंदू महिला और उसकी डेढ़ साल की मासूम बेटी का अपहरण कर लिया गया। पति दवा लेने गया था और पीछे से जीवन भर का जख्म परिवार को दे दिया गया। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि उस अंतहीन पीड़ा की कड़ी है जिसे पाकिस्तान के हिंदू, विशेषकर सिंध प्रांत में, वर्षों से झेलते आ रहे हैं। तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, वह भी औपचारिकता के तौर पर। परिवार को आशंका है कि बच्ची को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा। यह डर यूं ही नहीं है, इसके पीछे सैकड़ों घटनाओं का दर्दनाक इतिहास है।

पाकिस्तान में कानून का भय समाप्त होता दिख रहा है, खासकर जब बात अल्पसंख्यकों की हो। सिंध में हिंदू समुदाय के लिए अपहरण, जबरन धर्मांतरण, बाल विवाह और यौन हिंसा अब अपवाद नहीं, बल्कि एक भयावह दिनचर्या बन चुकी है। आंकड़े खुद चीख-चीखकर सच्चाई बयान कर रहे हैं। केवल पिछले 11 महीनों में सिंध प्रांत में हिंदुओं के खिलाफ 611 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 73 मामले सीधे तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े हैं। औसतन हर महीने हिंदुओं के खिलाफ सात घटनाएं हुई हैं, जिनमें अपहरण, हत्या, बाल विवाह और धमकी शामिल हैं। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक से कम नहीं।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका मूकदर्शक से आगे नहीं बढ़ती। कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की जाती है। कहीं पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जाता है, तो कहीं आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं। हथियारबंद लोग बरातियों पर हमला कर दुल्हन का अपहरण कर लेते हैं, जैसा कि अमरकोट की घटना में हुआ। चंदा मेहराज के अपहरण को तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी परिवार उसकी राह देख रहा है। यह प्रतीक्षा केवल एक बेटी की नहीं, बल्कि न्याय की है, जो शायद पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए विलासिता बन चुका है।

सिंध, जहां पाकिस्तान के सबसे अधिक हिंदू रहते हैं, वही प्रांत उनके लिए सबसे असुरक्षित साबित हो रहा है। यहां की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरक्षण और कट्टरपंथी तत्वों का गठजोड़ हिंदू लड़कियों को सबसे आसान निशाना बना देता है। गरीब परिवारों की बच्चियों को अगवा कर पहले डराया जाता है, फिर जबरन धर्मांतरण और विवाह का नाटक रच दिया जाता है। अदालतों में तथाकथित 'स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन' के बयान दिलवाए जाते हैं, जबकि पीड़िता मानसिक और शारीरिक दबाव में होती है। न्यायपालिका भी कई बार आंख मूंद लेती है और नाबालिग होने के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी भी उतनी ही सवालों के घेरे में है। जो संगठन भारत में छोटी-छोटी घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक शोर मचाते हैं, वे पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगभग मौन क्यों हैं? क्या मानवाधिकार केवल चुनिंदा देशों और चुनिंदा समुदायों के लिए ही होते हैं? यह दोहरा मापदंड वैश्विक नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय

दबाव नगण्य है।

स्थिति इतनी भयावह है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ हिंदुओं की मदद के लिए आगे आते हैं, उन्हें भी धमकियां दी जाती हैं। कई कार्यकर्ताओं को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जो बचे हैं, वे लगातार डर के साये में काम कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि राज्य की नीयत की भी है। जब पीड़ित की मदद करने वाला भी सुरक्षित नहीं, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

पाकिस्तान की यह विडंबना है कि वह खुद को लोकतांत्रिक और इस्लामिक गणराज्य बताता है, लेकिन अपने ही नागरिकों के एक वर्ग को इंसान की तरह जीने का अधिकार नहीं दे पा रहा। हिंदुओं की बेबसी केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। उनकी आवाज संसद तक नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती भी है तो अनसुनी कर दी जाती है। 185 से अधिक मामले आज भी पेंडिंग पड़े हैं, जिनका भविष्य अंधेरे में है।

भारत में बैठे लोगों के लिए यह केवल पड़ोसी देश की खबर हो सकती है, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए यह रोजमर्रा का सच है। सवाल यह भी उठता है कि भारत में हर मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने वाले राजनीतिक और सामाजिक समूह, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एकजुट क्यों नहीं होते? क्या यह मुद्दा केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा, या कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ठोस दबाव बनाया जाएगा?

कराची की उस मां और उसकी मासूम बेटी का अपहरण हमें यह याद दिलाता है कि पाकिस्तान में हिंदू होना आज भी अपराध की तरह देखा जाता है। यह घटना न पहली है और न आखिरी, जब तक व्यवस्था की चुप्पी नहीं टूटती। अगर आज दुनिया ने आंखें मूंदे रखीं, तो कल इतिहास पूछेगा कि जब सिंध में अल्पसंख्यक मदद के लिए चीख रहे थे, तब मानवाधिकार, कानून और वैश्विक जमीर कहां था।

पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कोई एहसान नहीं, बल्कि राज्य का मूल दायित्व है। जब तक अपहरण, जबरन धर्मांतरण और हिंसा के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, तब तक 'कानून का राज' केवल कागजों में ही रहेगा। सिंध के हिंदू आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई सुने, कोई बोले और कोई उनके लिए खड़ा हो। यह केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवता की कसौटी है, जिस पर वह बार-बार विफल होता नजर आ रहा है।

कांतिलाल मांडोत

पैसों की लालच में भगवान की आस्था से खिलवाड़ न करे मंदिर प्रबंधन

देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन का समय बढ़ाने तथा शयन काल में कटौती किए जाने के मामले में मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसों की लालच में आकर मंदिर प्रबंधन भगवान के विश्राम का समय कम नहीं कर सकता। यह निर्विवाद सत्य है कि आज भी भारत भर में मंदिर हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जहां वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश के प्रधान न्यायाधीश का यह निर्णय स्वागत योग्य है। यह फैसला न केवल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक सीमित है, बल्कि देश के सभी बड़े मंदिरों के लिए एक सख्त संदेश है कि मंदिर प्रबंधन पैसों की लालच में भगवान की आस्था से खिलवाड़ न करे।

देशभर के बड़े मंदिरों में सबसे अधिक संख्या आम श्रद्धालुओं की होती है, जो घंटों लंबी कतारों में खड़े रहकर, हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बसों और ट्रेनों के जनरल डिब्बों की भीड़ झेलते हुए प्रभु दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, वे कभी शिकायत नहीं करते। इसके विपरीत, वीआईपी दर्शन व्यवस्था के चलते अक्सर आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित होते हैं । यह भी एक कड़वा सत्य है कि देश के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में मंदिर प्रबंधन समितियों ने भगवान के दर्शन को आय का साधन बना लिया है। इसके परिणामस्वरूप आम श्रद्धालुओं को जानबूझकर विलंब कराया जाता है। कई स्थानों पर तो भगवान के शयन काल में भी अलग द्वार से वीआईपी लोगों को न केवल दर्शन कराए जाते हैं, बल्कि गर्भगृह तक ले जाकर अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं । हालांकि वीआईपी दर्शन से प्राप्त आय से श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी एवं ठहरने जैसी सुविधाएं विकसित की जाती हैं, किंतु भगवान की दिनचर्या में बदलाव कर यह व्यवस्था करना सच्चे भक्तों को कभी स्वीकार नहीं हो सकता। फिर मंदिर प्रबंधन किस अधिकार से भगवान के समय को अपने अनुसार तय करने लगे? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि देश के प्रसिद्ध मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर व्यापक मंथन करे और एक समान नीति बनाए, जिसमें दर्शन शुल्क और समय निर्धारित हों। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भगवान के विश्राम काल या पट बंद होने के बाद, चाहे कोई कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों न हो, उसे दर्शन की अनुमति न दी जाए। जिन राज्यों में देश के प्रतिष्ठित मंदिर स्थित हैं, वहां की राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि वे मंदिरों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु मंदिर प्रबंधन समितियों की गतिविधियों पर निगरानी रखें और देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरल, सहज और समान दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अरविंद रावल

संपादकीय

डीज़ल युग का विसर्जन, हरित भारत का अभिषेक

[लोहे की पटरियों पर विकास का विद्युत हस्ताक्षर]

[हरित ऊर्जा की रफ्तार पर सवार भारत: रेल इतिहास का स्वर्णकाल]

जब कोई राष्ट्र इतिहास रचता है, तो उसकी गूंज सीमाओं से परे जाती है। दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय लिखा, जब ब्रॉड-गेज रेल नेटवर्क का 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण हुआ। यह उपलब्धि मात्र आँकड़ों की बाज़ीगरी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, निर्णायक नेतृत्व और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अथक मेहनत का जीवंत प्रमाण है। जिस दौर में कई तथाकथित विकसित देश आज भी डीज़ल आधारित ढांचे पर निर्भर हैं, उसी दौर में भारत ने अपने विशाल रेल नेटवर्क को हरित ऊर्जा से जोड़कर नई दिशा तय कर दी। यह आत्मनिर्भर भारत की बुलंद घोषणा है, पर्यावरण संरक्षण की ठोस पहल है और नए भारत के आत्मविश्वास का उद्घोष है। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बड़े सपने देखने और असंभव को संभव में बदलने का साहस और सामर्थ्य आज भारत के पास है।

यदि हम 2014 से पहले की स्थिति पर नज़र डालें, तो वर्तमान प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। आज़ादी के बाद लगभग छह दशकों में, यानी 2014 तक, भारतीय रेलवे का केवल 21,801 किलोमीटर मार्ग ही विद्युतीकृत हो सका था। योजनाओं की सुस्ती, निर्णयों की कमी और इच्छाशक्ति के अभाव ने विकास को जकड़ रखा था। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच 46,900 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया, जो पहले के कुल कार्य से भी दोगुने से अधिक है। विशेष रूप से 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से ज्यादा का विद्युतीकरण हुआ, यानी औसतन प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार। यह दूरी जर्मनी जैसे देश के संपूर्ण रेल नेटवर्क के बराबर है। यह प्रगति मिशन मोड में काम करने वाली सरकार, बाधाओं को अवसर में बदलने वाली सोच और परिणाम देने वाली इच्छाशक्ति का प्रतिफल है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की यह उपलब्धि और भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज (यूआईसी) की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण कई विकसित देशों से कहीं आगे है। ब्रिटेन जहाँ 39 प्रतिशत पर है, वहीं रूस 52 प्रतिशत, फ्रांस 60 प्रतिशत, जापान 64 प्रतिशत, स्पेन 67 प्रतिशत और चीन 82 प्रतिशत पर ही सिमटे हुए हैं। दुनिया के अनेक बड़े रेल नेटवर्क आज भी डीज़ल की खपत से जूझ रहे हैं, जबकि भारत ने अपने सबसे व्यस्त और व्यापक नेटवर्क को हरित ऊर्जा से संचालित कर दिखाया है। इसका प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि डीज़ल आयात पर निर्भरता घटी, विदेशी मुद्रा की बचत हुई और परिचालन लागत में करोड़ों रुपये की कमी आई। साथ ही, कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को नई मजबूती मिली।

पर्यावरणीय दृष्टि से यह क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 89 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। एक टन माल को एक किलोमीटर तक ले जाने में रेल से मात्र 11.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जबकि सड़क परिवहन से यही आंकड़ा 101 ग्राम तक पहुँच जाता है। विद्युतीकरण ने इस अंतर को और भी प्रभावी बना दिया है। मोदी सरकार की नीतियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत अब केवल सहभागी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका में उभर रहा है।

मोदी सरकार की दृष्टि केवल तारों और खंभों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। नवंबर 2025 तक रेलवे में 812 मेगावाट सौर ऊर्जा और 93 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो सीधे ट्रैक्शन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1,500 मेगावाट से अधिक की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का प्रबंध किया गया है। भारतीय रेलवे अब आधुनिक थ्री-फेज आईजीबीटी तकनीक वाले लोकोमोटिव का निर्माण कर रहा है, जो ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को पुनः उत्पन्न करते हैं। यह 'मेक इन इंडिया' की सशक्त मिसाल है, जो आयात पर निर्भरता घटाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है। यह प्रधानमंत्री के पंचामृत संकल्प का सजीव रूप है।

इस विद्युतीकरण क्रांति का सबसे बड़ा लाभ देश की आम जनता को मिला है। विद्युतीकृत मार्गों पर ट्रेनें अधिक तेज़, सुरक्षित और विश्वसनीय हो गई हैं। देरी में कमी आई है और किरायों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ा है। देश के 14 रेलवे जोन और 25 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुके हैं। पूर्वोत्तर के राज्य–अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड–जहाँ कभी बुनियादी ढांचे की कमी महसूस होती थी, अब 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें बिजली से संचालित होकर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। यह जन-केंद्रित शासन की स्पष्ट झलक है, जो रेलवे को सचमुच करोड़ों भारतीयों की जीवनरेखा बना रहा है।

भारतीय रेलवे का यह विद्युतीकरण अभियान मोदी सरकार की अटूट इच्छाशक्ति, कुशल प्रशासन और राष्ट्रप्रथम सोच का अनुपम उदाहरण है। जहाँ कभी योजनाएँ फाइलों में सिमटी रहती थीं, वहाँ आज रफ्तार, हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार का तूफान दिखाई देता है। यह नए भारत का आत्मघोष है–एक ऐसा भारत जो न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहा है। शीघ्र ही 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर यह उपलब्धि विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब संकल्प मज़बूत हो, तो राष्ट्र असंभव को भी संभव बना सकता है।

प्रो. आरके जैन

कौन थे असली धुरंधर मेजर मोहित शर्मा?

जब कोई सैनिक शहीद होता हैए तो केवल एक जीवन नहीं जाताकृएक दृष्टि एक अनुशासनए एक आदर्श समाज के सामने प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। मेजर मोहित शर्मा का नाम आज फिर चर्चा में हैए फिल्मों और लोकप्रिय विमर्श के कारणए लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि वे किसी कथा के पात्र नहीं थेए बल्कि उस वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते थेए जिसे हम अक्सर पर्दे के पीछे छोड़ देते हैं। उनका जीवन और बलिदान यह सवाल पूछता है कि हम वीरता को केवल स्मारकों और फिल्मों तक सीमित क्यों कर देते हैंए जबकि वह हमारे नैतिक ढाँचे का आधार हो सकती है।

मेजर मोहित शर्मा उन विरले सैनिकों में थे जिनमें असाधारण साहस और गहरी मानवीय संवेदना एक साथ मौजूद थी। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित का बचपन साधारण थाए लेकिन सपने असाधारण। इंजीनियरिंग जैसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित मार्ग को छोड़कर उन्होंने सेना को चुनाए क्योंकि उनके लिए राष्ट्रसेवा कोई करियर विकल्प नहींए बल्कि जीवन का उद्देश्य थी। यह निर्णय आज के समय में विशेष अर्थ रखता हैए जब युवाओं को सफलता के त्वरित और व्यक्तिगत रास्ते अधिक आकर्षित करते हैं।

एनडीए और आईएमए में उनका प्रशिक्षण केवल सैन्य दक्षता तक सीमित नहीं रहा। खेलए संगीत और नेतृत्वकृहर क्षेत्र में उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सैनिक केवल हथियार चलाने वाला नहींए बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। घुड़सवारीए बॉक्सिंगए तैराकी और संगीत के प्रति उनका प्रेम इस बात का प्रमाण था कि कठोर सैन्य जीवन के भीतर भी सौंदर्य और संवेदना के लिए स्थान होता है। यही संतुलन आगे चलकर उन्हें एक असाधारण कमांडो और भरोसेमंद नेता बनाता है।

कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान मेजर मोहित शर्मा ने जो भूमिका निभाईए वह आधुनिक सैन्य इतिहास में दुर्लभ मानी जाती है। आतंकियों के बीच अपनी पहचान छिपाकरए जान जोखिम में डालकर उन्होंने ऐसे गुप्त अभियान चलाएए जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इफ्तिखार भट्ट के रूप में महीनों तक दुश्मन के बीच रहना केवल साहस नहींए बल्कि मानसिक दृढ़ताए धैर्य और अद्भुत आत्मसंयम की माँग करता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ सैनिक केवल बंदूक से नहींए बल्कि बुद्धि और मनोबल से लड़ता है।

उन अभियानों में उन्होंने आतंक की जड़ों को हिलायाए लेकिन कभी इसका सार्वजनिक श्रेय नहीं चाहा। सेना मेडल और प्रशंसापत्र उनके लिए उपलब्धियाँ नहींए बल्कि कर्तव्य के स्वाभाविक परिणाम थे। यही दृष्टि उन्हें भीड़ से अलग करती हैकृजहाँ वीरता प्रदर्शन नहींए दायित्व बन जाती है।

21 मार्च 2009 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में एक और स्वर्णिमए लेकिन पीड़ादायक अध्याय जोड़ गया। कुपवाड़ा के हाफरूदा जंगल में जब गोलियों की बौछार हुई और उनके साथी घायल पड़े थेए तब मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन से पहले अपने सैनिकों को चुना। घायल अवस्था में भी नेतृत्व करनाए दिशा.निर्देश देना और अंतिम क्षण तक लड़ते रहना केवल युद्ध कौशल नहींए बल्कि उस सैन्य संस्कृति का प्रमाण हैए जहाँ अधिकारी अपने जवानों से आगे चलता हैए पीछे नहीं।

उनकी शहादत के बाद मिला अशोक चक्र केवल एक वीरता पुरस्कार नहीं बल्कि उस मूल्य.व्यवस्था की पुष्टि हैए जिसमें देश सर्वोपरि होता है। उनकी पत्नी मेजर ऋषिमा शर्मा का स्वयं सेना में सेवा करना इस बात का प्रतीक है कि बलिदान केवल एक व्यक्ति का नहीं होताए वह पूरे परिवार का साझा संकल्प होता है। यह तथ्य हमें याद दिलाता है कि हर शहीद के पीछे एक मौन साहस भी होता हैए जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता।

आज जब उनकी कहानी फिल्मों के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँच रही है तो यह अवसर केवल गर्व करने का नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी है। क्या हम ऐसे सैनिकों को केवल युद्ध के समय याद करते हैं् क्या हमारी नागरिक चेतना में उनके बलिदान के प्रति वही गंभीरता हैए जिसकी वे अपेक्षा करते थे मेजर मोहित शर्मा का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रभक्ति केवल नारों और प्रतीकों से नहींए बल्कि ईमानदारीए अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व से बनती है।

उन्होंने एक बार कहा थाकृश्किसी चीज़ के लिए मरनाए बिना मकसद जीने से बेहतर है।श् यह वाक्य आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब उद्देश्यहीनता और असंतोष तेजी से समाज में फैल रहा है। मेजर मोहित शर्मा की विरासत हमें बताती है कि जीवन की सार्थकता केवल उसकी अवधि में नहींए बल्कि उसके उद्देश्य में निहित होती है। वे अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी कहानी किसी स्मारक में बंद नहीं होनी चाहिए। वह हमारे सार्वजनिक विमर्शए हमारी शिक्षा और हमारी नैतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा बननी चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे नाम हमारे विवेक में जीवित हैंए तब तक यह देश केवल सुरक्षित ही नहींए बल्कि संवेदनशील भी रहेगा।

महेन्द्र तिवारी

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट**:-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

सकरन ब्लॉक सभागार में 200 कंबलों का वितरण

बिसवां (सीतापुर) ठंड को देखते हुए बृहस्पतिवार को सकरन ब्लॉक सभागार में तहसील बिसवां द्वारा भाजपा महाराज नगर मंडल क्षेत्र के गरीब, विधवा व असहाय लोगों को 200 कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा व तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी उपस्थित रहे। इसी क्रम में पुरैनी में भी 150 कंबलों का वितरण किया गया। विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखने वाली सरकार है। तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि जो पात्र बुजुर्ग व गरीब कंबल पाने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए पुनः कैंप लगाकर कंबल वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह, वीडीओ श्रीश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, जितेंद्र मिश्र, आनंद अवस्थी सहित तहसील प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

भदोही प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का आगाज़, खेल प्रतिभाओं को मिला नया मंच

भदोही। भदोही प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत गुरुवार को उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आठ टीमों की भागीदारी है। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिला है।

उद्घाटन अवसर पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ खेलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बीपीएल जैसे आयोजन ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को आगे लाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता से निकलने वाले खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भदोही का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लगातार हो रहे ऐसे आयोजन युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक उत्कर्ष त्रिपाठी ने मंत्री का अंगवस्त्र भेंट कर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर मड़ियाहूं विधायक आर. पटेल, पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे, अतुल तिवारी, शिवम शुक्ला समेत कई गणमान्य लोग और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

मिर्जापुर में मुठभेड़ के बाद दो संदिग्ध गौ तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लालगंज क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो संदिग्ध गौ तस्करों को गिरफ्तार करके कथित तौर पर वध के लिए ले जाए जा रहे 33 मवेशियों को मुक्त करा लिया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की एक टीम ने तेंदुई ओवरब्रिज के पास एक ट्रक को रोकने की कोशिश की तो उसे पर सवार दो लोगों ने नीचे उतरकर पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में तस्करों में से सोनू बिंद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वह वाराणसी जिले के मिर्जामुराद इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी, मिथिलेश कुमार, घटना के दौरान एक गाड़ी से टकराने से घायल हो गया और उसे भी मौके पर ही पकड़ लिया गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने पर पता लगा कि ट्रक में 33 गोवंशीय मवेशी लदे थे जिन्हें कथित तौर पर मध्यप्रदेश के सीधी जिले से बिहार ले जाया जा रहा था। उनमें 15 गाय और 18 बैल तथा बछड़े शामिल हैं। उन्हें कथित तौर पर वध के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मौके से एक देसी पिस्तौल बरामद की गयी है। इस सिलसिले में लालगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अवधेश कुमार गुप्ता पुत्र रामचंद्र नि0 कमलाबाद बड़ौली परगना महोना तहसील बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर 9621879393 है मेरा मकान जो की खसरा न. 685 पर निर्मित है स्थित ग्राम कमलाबाद बड़ौली परगना महोना तहसील बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ जिसका रकबा 139.405 वर्ग मी है. जिसका बैनामा श्रीमती विजय लक्ष्मी राय के पक्ष में दिनांक 15/06/2013 को पुस्तक-1, खण्ड 5727, पृष्ठ 317/342, कमांक नं0 8556. उप निबन्धक बक्शी का तालाब लखनऊ में पंजीकृत था। उक्त मूल बैनामा छायाप्रति कराते समय दिनांक 9-12-2025 को प्रार्थी से बक्शी का तालाब क्षेत्र में कही खो गया। सम्बन्धित वैनामा प्रार्थी की संपत्ति की चैन डीड है। कृपया मूल वैनामा मिलने पर उपरोक्त पते पर देने का कष्ट करे।

दुल्हन की नज़र उतारकर सूअर की दी बलि घर की दहलीज पर पटक- पटक कर मार डाला, आंगन में किया दफ़न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर यूपी के सीतापुर में दूल्हा-दुल्हन की घर में एंट्री कराने से पहले सूअर की बलि दिए जाने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद पेटा संस्था ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा बदायूं के रहने वाले विकेंद्र कुमार ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया है वहीं, वीडियो शहर कोतवाली के मिरदही टोला का बताया जा रहा है सूअर की बलि को लेकर सीओ सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि दो लोगों ने दुल्हन की नजर उतारकर सूअर की बलि दी इसके बाद उसे आंगन में ही दफना दिया। घटना 23 नवंबर, 2025 की है मोहल्ला गोदियाना मन्नी चौराहा में रहने वाले एक परिवार में 23 नवंबर की दोपहर करीब 1 बजे दुल्हन घर आई वीडियो में दिख रहा है कि घर के दरवाजे पर नई दुल्हन, दूल्हे के साथ खड़ी है इस दौरान 2 लोग एक सूअर को पकड़ रहे हैं। कुछ समय बाद साथ में खड़ा एक अन्य युवक सूअर के बच्चे को पकड़ लेता है इसके बाद वह दूल्हा-दुल्हन की नजर उतारते हुए 2-3 बार घूमता है फिर सूअर को दहलीज पर कई बार पटकता है इसके चलते सूअर के बच्चे ने तड़पकर दम तोड़ दिया घर के आंगन में ही एक गड्ढा पहले से खोद रखा गया था।

उसमें सुअर के बच्चे को दफन कर दिया कुछ दिन बाद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। जब यह वीडियो पशु प्रेमी विकेंद्र के हाथ लगा, तो उन्होंने 16 दिसंबर को स्नद्धक्र दर्ज कराई विकेंद्र पशुओं को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने 26 नवंबर, 2023 को एक चूहे का पोस्टमॉर्टम भी कराया था विकेंद्र कुमार का आरोप है कि पुलिस को घटना वाले दिन ही इस बारे में बताया गया था पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई की होती, तो शायद एक बेजुबान की जान बच जाती सीओ सिटी विनायक भोसले ने कहा कि एक पशु प्रेमी विकेंद्र ने 16 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बलि दी गई है, लेकिन आरोपी अज्ञात हैं। पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वायरल वीडियो और पशु की बलि देने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है!!

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का- मुक्की, भाजपा कार्यालय घेराव की कोशिश विफल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में गुरुवार दोपहर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे जनभावनाओं के विपरीत करार दिया पार्टी का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से केवल एक पहचान नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकार, सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक है। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष डॉ. ममता वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू किया गया सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। शहर के लालबाग चौराहे के पास स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने कांग्रेसियों को वहीं रोककर भाजपा कार्यालय घेराव की कोशिश को विफल कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए प्रदर्शन के दौरान डॉ. ममता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और सरकार की नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है और सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेई ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैये को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव, धीरेश कश्यप, प्रदीप सिंह चौहान, राजेश सिंह तोमर, संजय कुमार चोक्ष, रजनीश कुमार मिश्रा, अमर मेहरोत्रा, दीपा वैश्य, कमल रावत, जितेंद्र शुक्ला, रिजवान खान, इमरान अली, शबनम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे!!

कोहरे में डंपर ने छात्रा को टक्कर मारी, मौत

कौशांबी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र में घने कोहरे के बीच एक डंपर ने एक छात्रा को बृहस्पतिवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

महेवा घाट थाने के प्रभारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उपरहार गांव निवासी सरिता देवी (15) दसवीं की छात्रा थी और सुबह करीब नौ बजे स्कूल जा रही थी तभी बैरागीपुर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि हादसे में सरिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है।

ट्रेन से छात्रा के कटे दोनों पैर 10 मिनट तक ट्रैक के पास तड़पती रही, हालत गंभीर लखनऊ रेफर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में गुरुवार सुबह स्कूल जा रही छात्रा नैमिषारण्य रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आ गई हादसा इतना भीषण था कि छात्रा के दोनों पैर कट गए, जबकि हाथों में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद चीखकर बोली- मुझे बचा लो। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन की टक्कर बेहद तेज थी। छात्रा मौके पर ही गिर पड़ी और उसके दोनों पैर कट गए। वह तड़पने लगी। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने घायल छात्रा को पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया सीएचसी प्रभारी के अनुसार छात्रा की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उसे जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है घटना नैमिषारण्य थाना क्षेत्र की है। गुरुवार की सुबह भट्ठापुरवा गांव निवासी अंबिका प्रसाद की बेटी सिद्या (17) साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर वह साइकिल नीचे से निकालकर जाने लगी अचानक बालामऊ - बुढ़वल पैसेंजर ट्रेन आ गई। चपेट में आकर किशोरी के दोनों पैर कट गए। हाथों में भी गंभीर चोट लगी। पैर कटते ही छात्रा नीचे गिरी और चीखकर बोली मुझे बचा लो। घटना स्थल से 500 मीटर दूर उसकी टूटी हुई साइकिल मिली है सिद्या 11वीं क्लास में नैमिषारण्य स्थित मूलचंद महतिया इंटर कॉलेज में पढ़ती है घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद छात्रा का ट्रेन की चपेट में आना कई

सवाल खड़े करता है हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है सूचना मिलने पर नैमिषारण्य थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है परिजनों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। लोग छात्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं!!

शासन की मंशानुरूप पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में अधिकारी अपना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले में राज्य महिला आयोग की मा. सदस्या श्रीमती एकता सिंह ने सर्किट हाउस सभागार में महिला उत्पीड़न से संबंधित जनसुनवाई किया। इससे पूर्व जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने बुके देकर स्वागत किया। जन सुनवाई के दौरान उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की मंशानुरूप पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने में अपना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें।

उन्होने महिला उत्पीड़न से संबंधित उपस्थित महिलाओं से गहनतापूर्वक बातचीत किया तथा संबंधित मामलों में यथोचित गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का निर्देश दिया। जन सुनवाई में कुल 5 प्रकरण प्रस्तुत हुए। कैलाशपती, ग्राम कूढापट्टी, श्रीमती ज्योति सिंह, वबिता मो. बभनगॉवा, लक्ष्मी ग्राम तिगोडिया तथा नीलम ग्राम लक्ष्मनपुर बस्ती के प्रकरणों में से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष के संदर्भ में संबंधित को निर्देशित किया गया है।

इस अवसर पर एसीएमओ डा. एस.बी. सिंह, डीपीओ आईसीडीएस राजेश कुमार, सीडीपीओ सदर जयप्रकाश सिंह, सॉऊघाट कृष्णेन्द्र यादव, महिला एसएचओ शालिनी सिंह, मंजू सिंह, एडीओ समाज कल्याण, जिला प्रोबेशन कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अशोक सिह, संरक्षण अधिकारी बीना सिंह, साधना, रमा, रीता उपस्थित रहें।

इसके पूर्व बाल विकास परियोजना विक्रमजोत की बाल विकास परियोजना अधिकारी बलराम सिंह और प्रोबेशन विभाग के वरिष्ठ सहायक अशोक कुमार सिंह ने जिले के सीमा पर राज्य महिला आयोग की सदस्या श्रीमती एकता सिंह का बुके देकर स्वागत किया।

पूरी टीम केशवपुर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची जो की नान को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है और वहां पर पहुंचकर मा. श्रीमती एकता सिंह ने वहां के बच्चों से गिनती और एबीसीडी सुना और एक गर्भवती श्रीमती पूजा पत्नी मनोज की गोद भराई की। वहां पर सीडीपीओ ने श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को मा. सदस्या को भेंट किया। शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र पर उन्होने उर्मिला पत्नी दिलीप कुमार की गोद भराई किया। वहॉ पर आसमी नामक बच्ची का अन्नप्राशन भी कराया गया।

सीडीपीओ बलराम सिंह ने बताया कि जहां एक तरफ गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा होती है वही अन्नप्राशन के साथ लगातार 2 वर्ष तक स्तनपान करने से माता का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है एक स्वस्थ बालक के रूप में बच्चे स्वस्थ नागरिक के रूप में परिवर्तित होते हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्या ने विद्यालय के किचन का निरीक्षण किया तथा बने हुए भोजन की गुणवत्ता की परख भी किया।

उन्होने विद्यालय के बाथरूम में गंदगी देखकर अप्रसन्नता व्यक्त किया एवं साफ-सफाई का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सेविका श्रीमती कुमुद सिंह, श्रीमती सरिता सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुमन लता, कृष्णावती सिंह, विजय द्विवेदी, कुसुम लता रानी, हर्ष कुमारी, सीता सती आदि उपस्थित थी।

ब्लॉक संसाधन केंद्र में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन

बिसवां (सीतापुर) ब्लॉक संसाधन केंद्र में आयोजित एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी में आगामी सत्र 2025-26 को लेकर चर्चा की गई। बिसवां विधायक निर्मल वर्मा ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों को मिलने वाली शैक्षिक सामग्री समय से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ओंकार सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय प्राधिकारी जनप्रतिनिधियों का सहयोग सभी विद्यालयों के लिए अति आवश्यक है। उनके सहयोग से बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में सकारात्मक वृद्धि होगी। साथ ही समुदाय, अभिभावकों एवं ग्राम पंचायत की विद्यालयों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्यक्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा की बालिकाओं द्वारा अतिथि स्वागत किया गया। संचालन शिक्षक विशाल रस्तोगी ने किया।

कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर है;- जिला अध्यक्ष डा0 ममता वर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बीजेपी सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग तथा श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं जननायक राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दी गई राहत के संबंध में एक विरोध प्रदर्शन एवं भाजपा कार्यालय के घिराव का आयोजन किया गया था। आज सैकड़ो कांग्रेस जनों द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस की शक्ल में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का घेराव करने जा रहे थे तथा लालबाग तक पहुंचने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा वैरागेटिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉ ममता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है एवं सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस फिर का पर सरकार का मुंहतोड़ जवाब देंगे श्रीमती वर्मा ने कहा कि आगे कई मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे आज जिस तरह ईडी का दुरुपयोग करके राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी जी को झूठे मुकदमे में फसाया गया यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेई ने कहा कि

आगे आने वाला समय कांग्रेस का है आज मोदी की सरकार इस देश में संविधान को खत्म करने वाली सरकार है आज लोकतंत्र पर कुठाराघात दुर्भाग्यपूर्ण है श्री वाजपेई ने कहा कि आज सभी वर्ग के लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। श्री वाजपेई ने पुलिस प्रशासन के इस रवैए को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव, धीरेश कश्यप, प्रदीप सिंह चौहान, राजेश सिंह तोमर, संजय कुमार चोक्ष विभु, रजनीश कुमार मिश्रा, अमर मेहरोत्रा, दीपा वैश्य कमल रावत जितेंद्र शुक्ला रिजवान खान इमरान अली सत्रोहन लाल भार्गव शबनम सीताराम भार्गव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लैब टेक्नीशियन की मौत दो मैनेजरो पर हत्या का केस, पिता ने ऊंचाई से धक्का देने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के एपीटीसी परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर लैब टेक्नीशियन मनीष साहू की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक से मिले और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने देर रात अवंतिका कांट्रेक्टर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमएस रेड्डी और मैनेजर रमन्ना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया कि बीते मंगलवार को युवक मनीष साहू की निर्माणाधीन बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था लेकिन परिजनों के आरोपों के बाद मामला हत्या में तब्दील हो गया। मृतक के पिता सुरेश साहू निवासी जनपद ललितपुर ने आरोप लगाया कि मनीष पिछले चार महीनों से अवंतिका कांट्रेक्टर कंपनी में कार्यरत था लेकिन कंपनी की ओर से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर मनीष की प्रोजेक्ट मैनेजर और मैनेजर से बहस हुई थी। आरोप है कि बहस के दौरान दोनों उसे ऊंचाई पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया जिससे नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई परिजनों का यह भी कहना है कि एपीटीसी परिसर में बनाई जा रही ऊंची-ऊंची इमारतें बिना तय मानकों और सुरक्षा इंतजामों के तैयार की जा रही हैं इसी लापरवाही और कथित साजिश के चलते मनीष की जान गई एसपी से मुलाकात के दौरान परिजनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग की प्रभारी

निरीक्षक अनूप शुक्ला का कहना है कि मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है दोनों नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी घटना के बाद से मृतक के परिवार में गहरा शोक है और न्याय की उम्मीद में वे प्रशासन की ओर देख रहे हैं!!

निरीक्षण के बाद नहरों की सफाई व मरम्मत शुरू, किसानों में खुशी

● सरयू नहर खंड-दो के मुख्य अभियंता ने किया आधा दर्जन गांवों का भ्रमण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोण्डा। सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत किसानों की सिंचाई समस्याओं को लेकर सरयू नहर खंड-दो, गोण्डा के मुख्य अभियंता संजय त्रिपाठी द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। बीते सप्ताह मुख्य अभियंता ने स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर आधा दर्जन गांवों की नहरों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधा संवाद किया।निरीक्षण के दौरान रनियापुर, सेमरौना, ककरा, मोहम्मदपुर रोहिणी भारी सहित अन्य गांवों के किसानों ने नहरों में झाड़ियां, गुलावा नालियों की कमी, टूटी पुल-पुलियों और अव्यवस्थित संचालन की समस्या

बताई। उन्होंने कहा कि ऊपरी छोर के किसानों को पानी मिल जाता है, लेकिन निचले इलाकों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता था।

किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य अभियंता ने मौके पर ही दीपक कुमार (अधिशासी अभियंता), सद्दाम हुसैन (सहायक अभियंता) और महेंद्र कुमार (अवर अभियंता) को 15 दिनों के भीतर नहरों की सफाई, गुलावा निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए।निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे नहरों की स्थिति में सुधार दिखने लगा है। नहरों की सफाई और मरम्मत को देखकर किसानों में खुशी का माहौल है।

स्थानीय किसान बदलू, रामविलास, तीर्थ मोरिया, अंकुर मोरिया, रामचंद्र यादव, मंगेश यादव सहित अन्य किसानों ने कहा कि लंबे समय बाद किसी बड़े अधिकारी के निरीक्षण के बाद वास्तविक कार्रवाई नजर आ रही है। किसानों ने उम्मीद जताई कि अब नहरों से भरपूर पानी मिलेगा और फसल सिंचाई आसान होगी।

प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। इन बैठकों में सड़क सुरक्षा, चकबन्दी, शिक्षा, आंगनबाड़ी, श्रम विभाग, बाल श्रम उन्मूलन, निर्माण कार्य तथा सीएम डैशबोर्ड (विकास) शासन की प्राथमिक योजनाओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा की बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान कर वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराए जाएं। यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य बनाने तथा आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में प्रयोग होने वाले वाहनों का फिटनेस समय-समय पर चेक किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

उन्होने चकबन्दी कार्यों की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा किया। जिलाधिकारी ने धारा 52 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित को निर्देश दिया कि नियमानुसार रूचि लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों की समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारियों

को निर्देश दिया कि जिन आगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत कनेक्शन अभी तक पूर्ण नही हुआ है, वहॉ विद्युत कनेक्शन शीघ्रताशीघ्र करायें।

उन्होने जिला श्रम बन्धु समिति एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर ठोस रणनीति पर चर्चा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति है, जिसे समाप्त करने के लिए निरंतर अभियान चलाना आवश्यक है। निरीक्षण दलों को सक्रिय करते हुए बाल श्रमिकों की पहचान, उन्हें शिक्षा से जोड़ने तथा पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि विभाग में संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अवश्य मिले। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। सीएम डैशबोर्ड (विकास) से संबंधित शासन की प्राथमिक की समीक्षा करते हुए पी.एम. सूर्यघर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति, जलजीवन मिशन, फैमिली आईडी, आईसीडीएस पोषण अभियान, सेतु निर्माण, नयी सड़को का निर्माण से संबंधित संतोषजनक प्रगति न पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति कर सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि जिन विभागों की प्रगति ठीक है, वे विभाग अप्रेक्षित प्रगति बनाये रखें। उन्होने निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन कार्यो में तेजी लायें। इसके साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कार्य पूर्ण होने की जो समय निर्धारित है, उसके अन्दर कार्य पूर्ण करायें बैठक में सीडीओ सार्थक अग्रवाल, डीडीओ अजय कुमार सिंह, सीएमओ डा. राजीव निगम, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, एआरटीओ माला बाजपेयी, आबकारी अधिकारी राजेश कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, डीएसटीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, डीएचओ अरूण कुमार त्रिपाठी, कार्यदायी संस्था के अधिकारी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

संक्षिप्त खबरें

सिलापथार सीली में भयानक सड़क हादसा, चार लोग गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों एवं पुलिस के मदद से हॉस्पिटल में भेजा गया

असम धेमाजी-18 नवंबर। सिलापथार थानांतर्गत सीली के 515 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रात को एक भयानक सड़क दुर्घटना हुआ। खबर अनुसार डिमो से पिकनिक खा कर कर चार युवकों का एक दल ने-स-22श्व-8040 नंबर के एस्क्रोपियो वाहन से लौटते समय सिली में नियंत्रण खो सड़क किनारे जा कर एक पेड़ में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना ही भयानक था कि गाड़ी एक डब्बा की तरह हो गई। दुर्घटना में चालक सहित तीन सावरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना स्थल में साथियों लोगों ओर पुलिस की मदद घायलों को सिलापथार मॉडल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ख़बर लिखते समय तक घायलों का परिचय बरामद नहीं हुआ, स्थितियों लोगों का कहना है चारों युवक सिलापथार का निवासी है।

तालाब छानती रही पुलिस, आरोपी के घर में ही मिली मूर्ति ,ग्रामीणों ने कराई पुनर्स्थापना

हमीरपुर- मुस्करा विकासखण्ड क्षेत्र के न्यूरिया गांव में मंदिर से चोरी हुई हनुमान की मूर्ति आरोपी मंदबुद्धि युवक के घर से मिली।बुधवार के दिन उसी आरोपी के बताने पर गांव के लोग और चौकी की पुलिस पूरा दिन तालाब ने खोजती रही लेकिन मूर्ति नहीं मिली।वहीं बृहस्पतिवार के दिन सुबह लगभग नौ बजे पुलिस को मूर्ति उसी के घर में अलमारी के पीछे रखी मिली।चौकी इंचार्ज एसआई रविन्द्र कुमार ने बताया कि बुधवार के दिन आरोपी का पूरा घर छान मारा था लेकिन मूर्ति नहीं मिली थी और जब अलमारी हटाई तो विधिवत पूजा की हुई फूल मालाओं से लदी मूर्ति मिल गई।बताया ,जब आरोपी से पूंछा तो वह सिर्फ इतना कह रहा था कि हनुमान जी कह रहे थे ,मुझे घर ले जाओ तो ले आया। वहीं मूर्ति मिलने के बाद ग्रामप्रधान प्रतिनिधि कन्हैया दीक्षित ने ग्रामीणों को बुलाकर मूर्ति के लिए डोला सजवाया और विधिवत मंदिर में उसकी पुनर्स्थापना करवा दी।

निशुल्क नेत्र शिविर में 300 मरीजों का हुआ नेत्र परीक्षण, 18 मोतियाबिंद मरीज चित्रकूट भेजे गए

हमीरपुर- कुरारा विकास खंड क्षेत्र के झलोखर गांव स्थित श्री राजाराम इंटर कॉलेज में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के करीब 300 ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिनमें आंखों से संबंधित विभिन्न रोग पाए गए। जांच के दौरान 18 मरीजों को मोतियाबिंद से पीड़ित पाया गया, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा गया। यह नेत्र शिविर पहाड़ी देव शिव धाम समिति शंकरपुर बचरौली एवं सद्गुरु सेवा संस्थान चित्रकूट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गईं। शिविर के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 60 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस कार्य में आयुष्मान मित्र मनीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाजसेवी गणेश तिवारी, शिवांग द्विवेदी सहित अन्य स्थानीय लोगों का सहयोग रहा। ग्रामीणों ने शिविर की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

घने कोहरे के चलते नेशनल व स्टेट हाईवे पर रेंगते रहे वाहन, सर्दी से बेहाल जनजीवन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- बृहस्पतिवार का दिन दिसंबर माह का सबसे सर्द दिन रहा।दिसम्बर माह के सत्रह दिन बीत जाने के बाद जिले में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। गुरुवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा और पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए।कानपुर-सागर नेशनल हाईवे तथा हमीरपुर-जोल्हुपुर स्टेट हाईवे पर दृश्यता बेहद कम रही और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने को मजबूर होना पड़ा।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से लेकर शाम तक घना कोहरा और सर्द हवाएं चलती रहीं, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। शीतलहर के कारण यमुना पाथवे पर सुबह टहलने वालों की संख्या भी काफी कम रही।

शाम होते-होते ठंड और बढ़ गई, जिसके चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। शाम छह बजे से पहले ही बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसर गया। बढ़ती ठंड के चलते गर्म कपड़ों की मांग में भी इजाफा हुआ है। सर्द हवाओं ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और लोग पूरे दिन ठंड से बेहाल रहे।

जिलाधिकारी ने उर्वरक के दुकानों का किया औचक निरीक्षण, दिए निर्देश

सिद्धार्थनगरजिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा जनपद के प्राइवेट खाद की दुकान महालक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र जिगिनियहवा बांसी, त्रिपाठी कृषि सेवा केन्द्र पिपरा छंगत इटवा एवं मौर्या खाद भण्डार खरदेवरी खुनियांव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी दुकानों पर स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर का मिलान किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति गोल्हौरा/सोनफेरवा खुर्द, पकड़ियहवा कला विकास खण्ड बढ़नी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समितियों के स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर का मिलान किया गया। सब जगह ठीक पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को खाद का वितरण निर्धारित दर पर किया जाये। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये।

सात महीनों में नई दिल्ली जिला पुलिस ने 408 खोए मोबाइल किए बरामद, 276 मोबाइल मालिकों को सौंपे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संवाददाता प्रदीप यादव

नई दिल्ली 18 दिसंबरः नई दिल्ली जिला पुलिस ने सड़क अपराध और संपत्ति चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले सात महीनों में 408 खोए/गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से 276 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे जा चुके हैं जबकि शेष 132 मोबाइल फोन लौटाने की प्रक्रिया जारी है।यह कार्रवाई नई दिल्ली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और स्पेशल स्टाफ की समर्पित टीमों द्वारा की गई। पुलिस टीमों ने तकनीकी सर्विलांस और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल की मदद से न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी गुम मोबाइल फोन को ट्रेस किया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सहायता के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकों से अपील की गई है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें तथा CEIR पोर्टल के माध्यम से सिम कार्ड और IMEI नंबर ब्लॉक करें, ताकि दुरुपयोग रोका जा सके और मोबाइल की शीघ्र बरामदगी संभव हो सके। नई दिल्ली जिला पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे अभियानों को जारी रखने का भरोसा जताया है।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की अगुवाई में जिलाधिकारी से की अवैध कब्जा की शिकायत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- कुरारा विकासखण्ड के कण्डोर गांव निवासी शिवगोपाल ने बृहस्पतिवार के दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की अगुवाई में गांव के एक दलित व्यक्ति मुन्ना पुत्र दनकवा के खिलाफ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को प्रार्थना पत्र दिया।आरोप लगाया है कि उक्त दलित व्यक्ति अपने दलित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए पीड़ित की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर रहा है और जबरन विवाद करके उसे दलित उत्पीड़न व अन्य मुकदमें में फंसाने की धमकी देता है। पीड़ित ने बताया कि उसकी कृषि भूमि कण्डोर डांड में है जिसका गाटा संख्या 337/2 है और रकबा 0.8820 है।बताया बीते साल 1998 में उसने उक्त भूमि की हदबंदी और पत्थरगड्डी करवाई थी।साल 2012 में सिविल कोर्ट से भी वादी के हक में फैसला आया था लेकिन आरोपी दलित व्यक्ति हमेशा झगड़े पर आमादा रहता है।वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पीड़ित को न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के समय पीड़ित शिवगोपाल के साथ ब्राह्मण महासभा हमीरपुर इकाई के अभिषेक मिश्रा, नितिन तिवारी, राजोल मिश्रा, गिरीश तिवारी, गगन मिश्रा, अश्विनी पांडेय, मोहित द्विवेदी, संजू दुबे, सतीश तिवारी, अनादि मिश्रा, अभय शुक्ला, ब्रजेश शुक्ला, विकास दुबे आदि मौजूद रहे।

यज्ञ समापन पर भंडारे का आयोजन, संतों को कंबल भेंट कर दी गई विदाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- कुरारा विकास खंड क्षेत्र के झलोखर गांव में आयोजित महायज्ञ के समापन अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। झलोखर गांव स्थित श्री राजाराम इंटर कॉलेज परिसर में यह धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ, जहां यज्ञ पूर्णाहुति के बाद भंडारे की शुरुआत की गई।

समापन अवसर पर सबसे पहले यज्ञ में पधारे संत समाज को विधिवत भोजन कराया गया। इसके पश्चात ब्लॉक प्रमुख आशीष पालीवाल एवं हमीरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन कुलदीप निषाद द्वारा संतों को कंबल भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। भंडारे का कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा, जिसमें आसपास के गांवों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सर्वेश द्विवेदी ने बताया कि यह महायज्ञ का 26वां वर्ष था। समापन से पूर्व बीती रात रामलीला महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए रामलीला कलाकारों ने सजीव मंचन कर भक्तिमय वातावरण बना दिया। रामलीला के मंचन से श्रद्धालु भावविभोर नजर आए। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल रहा।

विकासखंड रुपईडीह के क्षेत्र पंचायत की अहम बैठक में 4 करोड़ रुपये विकास का प्रस्ताव पारित

● विकासखंड रूपईडीह में दिखी विकास की झलक चमचमाया ब्लॉक परिसर, ग्राम पंचायतों तक पहुँचा विकास

प्रमुख प्रतिनिधि महेश सिंह व प्रमुख बबिता सिंह के कार्यों की हो रही व्यापक चर्चा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोण्डा। क्षेत्र पंचायत रूपईडीह की वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार को ब्लॉक सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर गहन चर्चा हुई तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों के समक्ष रखी गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपावली मिश्रा ने आंगनबाड़ी, पोषण अभियान, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वी. आर. निगम ने पशुपालन विभाग की योजनाओं, पशुओं के टीकाकरण, उपचार व्यवस्था एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

स्वास्थ्य विभाग से महेंद्र विश्वकर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्रों, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्राथमिक उपचार की भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अभय सिंह ने कहा कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत संचालित सभी विकास कार्यों को शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि आपसी समन्वय से विकास कार्यों को और बेहतर बनाया जा सकता है।वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष अमित अवस्थी ने क्षेत्र पंचायत में चल रहे विकास कार्यों को और प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

विकासखंड रूपईडीह में दिखी विकास की झलक चमचमाया ब्लॉक परिसर, ग्राम पंचायतों तक पहुँचा विकास

विकासखंड रूपईडीह इन दिनों विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ग्राम पंचायतों से लेकर विकासखंड परिसर तक कराए गए कार्यों से विकास की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। विकासखंड परिसर का बदला हुआ और सुसज्जित स्वरूप आमजन को आकर्षित कर रहा है, वहीं ग्रामीण अंचलों में कराए जा रहे कार्यों से लोगों में संतोष और उम्मीद का भाव दिखाई दे रहा है। विकासखंड परिसर में नवनिर्मित स्मृति शेष पंडित सिंह सभागार कक्ष का क्षेत्र पंचायत प्रमुख बबिता सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। यह सभागार अब क्षेत्र पंचायत की बैठकों, जनसुनवाई एवं विकास योजनाओं की समीक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि महेश सिंह ने कहा कि क्षेत्र पंचायत का उद्देश्य विकास को अंतिम पंक्ति तक पहुँचाना है और इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं।

क्षेत्र में प्रमुख प्रतिनिधि महेश सिंह एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख बबिता सिंह द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा गाँव-गाँव और चौराहों पर होती नजर आ रही है। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग, स्वच्छता तथा सार्वजनिक भवनों से जुड़े कार्यों ने क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाया है।इसी क्रम में आयोजित क्षेत्र पंचायत रूपईडीह की अहम बैठक में विकास को और गति देने के उद्देश्य से लगभग 4 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पारित किए गए। ये प्रस्ताव विभिन्न कार्य योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य कराने से जुड़े हैं।बैठक में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों सहित विकासखंड क्षेत्र के ग्राम प्रधानों की बड़ी भागीदारी रही। प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान डॉ. भूपेंद्र तिवारी, रिंकू ओझा, निजामुद्दीन, दिनेश, अमर सिंह, शिव शंकर मिश्रा, आनंद मोहन मिश्रा सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्राम प्रधान बैठक में उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और विकास प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखा।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने पर जोर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सूरज सिंह ने विकास को लेकर कहा कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुँचाना तथा गांवों का विकास प्राथमिकता के आधार कराना और हर योजना का लाभ धरातल पर आम जनता को दिखाई देना –यही सच्चे विकास की पहचान है।कुल मिलाकर, विकासखंड रूपईडीह में चल रहे विकास कार्य, नवनिर्मित सभागार और पारित योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि क्षेत्र पंचायत के माध्यम से आने वाले समय में विकास को और नई दिशा मिलने जा रही है।

दिल्ली की अंजू ने हरियाणा की कोमल को दी पटखनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- सरीला तहसील क्षेत्र के चंडौत गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्द हवाओं के बीच भव्य दंगल का आयोजन किया गया। जिसमें पहले दिन अतिथि रामसहोदर नेता, कामता राजपूत, देवेंद्र राजपूत, ज्ञानसिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया। गांव में दो दिवसीय दंगल के पहले दिन दो दर्जन से अधिक कुश्तियां हुई। दंगल में मसगाँव के लेखराज ने कानपुर के भीमकांत को कड़ी मशक्कत के बाद चित किया। शोभित गोरखपुर ने कैलाश रायबरेली को आखाड़े की धूल चटाई, लींगा के प्रीतम ने इंचौली के राकेश को हराया। मथुरा के वीरबहादुर और आगरा के बिच्छू बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बिच्छू ने विजय हासिल किया। कानपुर के राहुल ने मैनपुरी के जय को मात दी, चंडौत के सुनील ने राणा के दिलीप को चित किया वही महिला पहलवान अंजू दिल्ली ने कोमल हरियाणा को कड़े संघर्ष में हराया।

बिनय बलरामपुर और अमर सिंह धौहल एवं मंगल सिंह रहटिया और उदल धौहल के बीच कुश्ती बराबरी पर रही। दंगल को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। दर्शकों ने अपने-अपने पहलवानों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। दंगल में रेफरी की भूमिका महिपाल, गुलाब ने निभाई व संचालन शीलू महाराज परासन ने किया। वही निर्णायक मंडली में शिव सिंह, अर्जुन, राधाचरण निगम, धर्मेश राजपूत रहे। इस अवसर पर राजकुमार, कुलदीप पाठक, अरविंद, राघवेंद्र, नौतम, रोहित, जनक अन्य कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

मिशन शक्ति केंद्र द्वारा सराहनीय कार्य 'नारी का सम्मान, समाज का अभिमान

मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पीड़िता बिना संकोच अपनी शिकायत दर्ज कराए और उसे तत्काल,सम्मानजनक एवं प्रभावी सहायता मिले जिसके संबंध में पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं को तत्परता से सम्मानजनक सहायता प्रदान कराने तथा व्यवहारिक मार्गदर्शन और बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाते हुए शत प्रतिशत और बेहतर तरीके से समस्याओं को निस्तारण किया जाए एवं समय-समय पर महिला से पीड़िता की शिकायतों का, 360ए काउंसलिंग करें एवं नियमित फॉलो-अप करे। इसी क्रम में अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में व शुभम अग्रवालअपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना व जनपद भदोही के मिशन शक्ति टीम द्वारा एक टूटते हुए परिवारो के बीच समन्वय स्थापित किया गया जिससे दोनों पुनः साथ राजी खुशी एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए।

जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- जनपद के जिला जज मनोज कुमार रॉय, जिलाधिकारी घनश्याम मीणा एवं पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा द्वारा जिला कारागार हमीरपुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध कैदियों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली का विस्तार से आकलन किया गया।

अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए सुरक्षाकर्मियों की संख्या, उनके पास उपलब्ध उपकरणों एवं सुरक्षा उपायों की जांच की। इसके साथ ही जेल में निरुद्ध कैदियों की संख्या, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, रहने की व्यवस्था तथा समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया।

निरीक्षण के दौरान जेल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की व्यवस्था एवं साफ-सफाई की स्थिति को परखा गया। साथ ही कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा की भी जांच की गई। अधिकारियों ने रसोईघर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला जज, डीएम एवं एसपी ने जेल के प्रशासनिक कार्यों, रिकॉर्ड संधारण तथा कैदियों के अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त कैदियों के लिए संचालित शिक्षा, कौशल विकास एवं पुनर्वास कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी अवलोकन किया गया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर बलरामपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के अंतर्गत जनपद भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 18 दिसंबर 2025 को जनपद के समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा दलों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। महिला बीट अधिकारियों ने ग्राम चौपालों का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा मौके पर ही समाधान कर उन्हें भरोसा दिलाया।

जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान वूमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 एवं साइबर हेल्पलाइन-1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, महिला अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों पर संवाद स्थापित कर महिलाओं को सतर्क एवं जागरूक किया गया।

इस अवसर पर शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पंपलेट का वितरण भी किया गया। साथ ही स्थानीय थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं वहां उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताया गया, ताकि महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर निर्भीक होकर सहायता प्राप्त कर सकें।

बलरामपुर पुलिस का यह अभियान महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में नारी सम्मान एवं गरिमा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक नारी भयमुक्त, सुरक्षित और स्वाभिमानी जीवन जी सके।

कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के तीन इनामिया आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

बस्ती। बस्ती जिले मेंअपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे बिहार निरीक्षक कोतवाली दिनेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहे तीन इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयोग होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 331/2025, धारा 109, 352, 351(2) बीएनएस के तहत हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में 18 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस टीम ने देवरांव पुल के पास से तीनों वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान लवकुश पुत्र मेला निषाद, अलगू निषाद पुत्र गबई निषाद और करन पुत्र गबई निषाद, निवासी ग्राम देवरांव, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त लवकुश की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुट गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अपराधियों में पुलिस का भय बना रहेगा। आगे की कार्रवाई के तहत अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी सोनूपार कामेश्वर कुमार मिश्र सहित थाना कोतवाली की पुलिस टीम शामिल रही।